

बिहार सरकार  
जल संसाधन विभाग  
आदेश

सं.सं.- 10/निजी-01-1025/2024

पटना/दिनांक-

श्री उमाशंकर (आई0डी0-5595), अवर प्रमंडल पदाधिकारी, उत्तर कोयल नहर अवर प्रमंडल-01, कुटुम्बा को उनके द्वितीय संतान हेतु दिनांक-31.01.2026 से दिनांक-14.02.2026 तक कुल-15 (पन्द्रह) दिनों के अवकाश अवधि को बिहार सेवा संहिता के नियम-220 तथा वित्त विभागीय संकल्प संख्या-2498 दिनांक-12.04.2007 एवं पत्रांक-9889 दिनांक-01.12.2015 के आलोक में पितृत्व अवकाश के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-  
(सरफराज अहमद)  
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक- 10/निजी-01-1025/2024

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना को बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना के पत्रांक-1215 दिनांक-25.07.2024 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-  
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक- 10/निजी-01-1025/2024

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, औरंगाबाद/कार्यपालक अभियंता, उत्तर कोयल नहर प्रमंडल, अम्बा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-  
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक- 10/ निजी-01-1025/2024

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- श्री उमाशंकर (आई0डी0-5595), अवर प्रमंडल पदाधिकारी, उत्तर कोयल नहर अवर प्रमंडल-01, कुटुम्बा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-  
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक- 10/ निजी-01-1025/2024

पटना/दिनांक-

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, पटना को विभागीय Website पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह०/-  
अवर सचिव (प्रबंधन)।